

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी §

मंगलवार, फरवरी 29, 2000/फाल्गुन 10, 1921 §शक§

संख्या : 67

सदस्य को नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश दिनांक 25.02.2000 को प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोएब इक़बाल को उनके अन्य समर्थकों सहित दिनांक 22.02.2000 को अपराहन 2.15 बजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत पुलिस के विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, संसद मार्ग, नई दिल्ली पर नज़रबंद किया गया। उन्हें, उनके समर्थकों सहित, उसी दिन अर्थात् दिनांक 22.02.2000 को अपराहन 2.18 बजे उसी स्थान से रिहा कर दिया गया।"

ए.के. शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, February 29, 2000/Phalgun 10, 1921 (Saka)

No. : 67

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following message addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from DCP, New Delhi Distt., New Delhi on 25-02-2000 :-

"I have the honour to inform you that Sh. Shoab Iqbal, Hon'ble Member of Legislative Assembly, Delhi alongwith his other supporters was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police outside the office of Registrar, Cooperative Society, Parliament Street, New Delhi at 2.15 P.M. on 22.02.2000.

He was released alongwith his supporters at 2.18 P.M. from the same place on the same day i.e. 22.02.2000."

S.K. SHARMA
SECRETARY